



भारत सरकार
खान मंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो,

उल्लंघन पत्र
रजि. ए.डी./स्पीड पोस्ट/ई-मेल/फैक्स

क्षेत्रीय खान नियंत्रक कार्यालय
द्वितीय तल, जी० एस० आई० फील्ड प्रशिक्षण केन्द्र, महालेखाकार कार्यालय परिसर,
पोस्ट-विधानसभा, रायपुर-492005 (छत्तीसगढ़)
फोन एवं फैक्स-0771-2282530, 2285590 ई-मेल: ro.raipur@ibm.gov.in

क्र०- छग०/रायपुर/चू०प०-62/रायपुर

38 छ०ग० 14020

दिनांक:- 16/10/2019

प्रति,

श्री रिपु सूदन वर्मा, खान मालिक एवं पट्टेदार,
गांव एवं पोस्ट- सुहेला, तहसील सिमगा,
जिला - बलौदाबाजार - भाटापारा (छत्तीसगढ़) - 493 195
ईमेल- yugal2504@gmail.com

विषय:- छत्तीसगढ़ राज्य के बलौदाबाजार जिले में स्थित आपकी भाटबेहरा चूनापत्थर खदान 4.808 हे० में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियमों के उल्लंघन के संबंध में।

महोदय,

आपकी उपरोक्त खान का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिनांक 18/09/2019 को श्री रिपु सूदन वर्मा, खान मालिक की उपस्थिति में किया गया तथा खान के निरीक्षण के दौरान यह पाया गया कि आपने खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के निम्नलिखित उपबंधों का उल्लंघन किया है :-

नियम	उल्लंघन के प्रकार का विस्तृत ब्योरा
Rule 26 (2)	A yearly report as per the format specified by the Indian Bureau of Mines, before 1st day of July every year setting forth the extent of protective and rehabilitative works carried out has not been submitted for the year 2017-18 and 2018-19.
Rule 27 (2) read with Rule 11 (1)	पहले से प्रस्तुत वित्तीय आश्वासन और खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 की अधिसूचना की तारीख को बकाया वित्तीय आश्वासन के बीच के अंतर के बराबर की राशि प्राधिकृत अधिकारी को यथास्थिति, अधिसूचना की तारीख (27 फरवरी 2017) से 90 दिनों की अवधि के भीतर प्रस्तुत की जानी चाहिए। आपके द्वारा प्रस्तुत किए गए वित्तीय आश्वासन की राशि में रु 212600/- कम जमा किए गए हैं। अतः रु 2,12,600/- का अतिरिक्त वित्तीय आश्वासन के रूप में प्राधिकृत अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
Rule 28 (1)	Notice of Temporary Discontinuance has not been sent to the authorized officer within one hundred and twenty days from the date of such discontinuance as the mine is non operational from August 2017.
Rule 35	Online self assessment report of mining and allied activities as per the notified template of star rating in the format prescribed by the Indian Bureau of Mines for the year 2018-19 has not been submitted.
Rule 45 (5) (c)	वार्षिक विवरणियाँ : खान की वित्त वर्ष 2018-19 की वार्षिक विवरणियाँ ऑनलाइन नहीं भरी गई हैं एवं विवरणियों की प्रति क्षेत्रीय खान नियंत्रक, रायपुर को प्रेषित नहीं की गई है। वार्षिक विवरणियाँ www.ibm.gov.in पर ऑनलाइन भर कर वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अगली 1 जुलाई के भीतर इस कार्यालय को प्रेषित की जानी चाहिए।
Rule 54	Labour attendance register, Daily Production register, Records of contribution of DMF & NEMT have not been maintained.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियमों का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं इस नियम का उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली 2017 के नियम 11(2) एवं 45(7) के अंतर्गत

(क) खान की समस्त खनन संक्रियाएं बंद की जा सकती है।

(ख) आपके विरुद्ध अभियोग याचिका दायर किया जा सकता है।

(ग) खनन पट्टे को निरस्त करने की सिफारिश राज्य सरकार से की जा सकती है।

03. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप उपरोक्त उल्लंघनों का अतिशीघ्र सुधार करें एवं इसके सुधार की सूचना इस पत्र के जारी होने से 45 दिन के भीतर इस कार्यालय को सूचित करें।

कू०पू०प०.2.

भवदीय

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी,
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर

प्रतिलिपि: सूचनार्थ हेतु :-

1. खान नियंत्रक (मध्य), भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
2. उप महानिदेशक (सांख्यिकी), खनन एवं सांख्यिकी प्रभाग, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर (महाराष्ट्र)-440001
3. संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन, द्वितीय तल, डी ब्लॉक, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर, छत्तीसगढ़।

(शैवाल कार्तिकेय)
कनिष्ठ खनन भूविज्ञानी
भारतीय खान ब्यूरो, रायपुर